अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 13/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि.____(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 62/91-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 जुलाई, 1991 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (i) में, सा0का0नि0 396(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 द्‌वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(क.कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार